

श्रीगंगानगर (राज.)
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)

15/10/15


गया।
तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
है। आदेशिका की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर,
किया जाकर नम्बर से कम किया जावे व बाद तकमील दाखिल दफतर
इसी स्तर पर हस्तगत अपील प्रकरण उपरोक्तानुसार निस्तारित
आगामी कार्यवाही की जायेगी।

के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निर्णय की पालना में
माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय/आदेश प्राप्त होने पर/उभयपक्ष
जाती है।


न्यायालय के निर्णय होने तक मौजूदा अपील की कार्यवाही स्थगित की
1806/2014 विचारधीन होने से, हस्तगत अपील प्रकरण में माननीय उच्च
18.08.2015 प्रभावी होने एवं जी.बी. सिविल स्प. अपील रिट नं
अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश दिनांक
सुना गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश पारित किये जावे।
उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है। अतः
की फाँटे प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में माननीय
साथ जी.बी. सिविल स्प. अपील रिट नं 1806/2014 आदेश 18.08.2015
अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। यू.आई.टी. के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के

15.10.15



कार्यालय टिप्पणी
अपील इंतकाल प्रकरण संख्या 76 / 2013
श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)
बनाम यू.आई.टी. गंगानगर व अन्य
अलग प्रकरण पत्र



ADYKA
5/12